

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारोीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 25/09/20

क रीडर/2020/

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लच्छाराम 2 चुताराराम 3 मोटाराम  
पिसरान वस्ताराम 4 नोखोंदेवी पत्नी  
लुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी  
नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व  
जिला बाड़मेर।

1 काछवाराम पुत्र अजीताराम वगैराह जाति  
प्रजापत निवासी नारणाणियों की ढाणी,  
भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमवन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 22/2020

दिनांक- 20/09/20

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 324/67 रकबा 38.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमवन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमवन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमवन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 25/09/20

क्रमांक :- रीडर/2020/

516-519

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लच्छाराम पुत्र वस्ताराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी काछवाराम पुत्र अजीताराम वगैराह जाति प्रजापत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

